रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 700] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2009/वैशाख 14, 1931

No. 700] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2009/VAISAKHA 14, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2009

का.आ. 1146(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27.11.1990 की अधिसूचना का.आ. 916 (अ) के तहत दिनांक 27.11.1990 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था;

और, यतः, वह अवधि जिसके दौरान असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा को असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया था;

और, यतः, असम तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है :-

i) असम राज्य में, कानून एव व्यवस्था की स्थिति यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा की गई अनेक हिंसक वारदातों के कारण खराब रही है। अन्य उग्रवादी संगठन जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैण्ड (एन डी एफ बी), वार्ता विरोधी गुट कार्बी

लोंगरी एन.सी. हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के एल एन एल एफ), कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी (के आर ए) तथा दीमा हलाम दाओगाह का एक गुट - (डी एच डी/जे) भी असम राज्य में हिंसा में काफी हद तक संलिप्त रहे हैं।

ii) सम्पूर्ण असम आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। अक्तूबर, 2008 से मार्च, 2009 के बीच असम में हुई हिंसा की 156 घटनाओं में भूमिगत संगठनों द्वारा 11 सुरक्षा बल कार्मिकों सहित 160 व्यक्तियों की हत्याएं की गईं।

iii) उपर्युक्त संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप, चांगलैण्ड, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों तथा विभिन्न उग्रवादी संगठनों (अरुणाचल प्रदेश तथा असम में सक्रिय) तथा सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ों के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के गुट असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारी समुदाय, स्थानीय लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन वसूली में संलिप्त हैं। लोहित, निचली दिबांग घाटी, पूर्वी और पश्चिमी सियांग जिले तथा पेपम्पेयर की निचली पहाड़ियाँ उल्फा उग्रवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल हैं क्योंकि इन जिलों में उन्होंने अपने छिपने के ठिकाने बनाए हुए हैं।

v) मुख्यतया आचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ 'अभियानों के निलंबन' (एस ओ ओ) तथा हिन्नीविटर्प नेशनल लिब्रेशन काउंसिल (एच एन एल सी) भूमिगत संगठनों के निष्प्रभावन में सुरक्षा बलों को मिली सफलता के कारण मेघालय में मौजूदा सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था परिदृश्य में सुधार देखा गया है। इस क्षेत्र का बंगलादेश से घुसपैठ/जाने के मार्ग के रूप में और गारो हिल्स से होकर असम को उस देश से शस्त्र/गोलाबारूद की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उल्फा इस क्षेत्र का इस्तेमाल आश्रय/छिपने के ठिकानों और शस्त्र/गोलाबारूद/विस्फोटक खेप भेजने तथा प्राप्त करने के लिए करता रहा है।

अतः, अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 4.11.2009 तक 'अशांत क्षेत्र' बना रहेगा जब तक कि इस धारा को इससे पहले ही हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2009

S.O. 1146(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27.11.1990 vide Notification SO 916 (E) dated 27.11.1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the period during which the State of Assam and areas falling within 20 KMs wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 Kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following:-

i) The law and order situation in the State of Assam has continued to remain grim due to a large number of violent incidents by United Liberation Front of Asom (ULFA). Other militant outfits like National Democratic Front of Boroland (NDFB) anti-talk faction, United Peoples' Democratic Solidarity (UPDS) Karbi Longri N.C. Hills Liberation Front (KLNLF), Kuki Revolutionary Army (KRA) and a faction of Dima Halam Daogah - (DHD/J) were also involved in violence to some extent in the State of Assam.

ii) The whole of Assam is affected by terrorist activities. Between October 2008 to March 2009, as many as 160 persons, including 11 Security Force Personnel were killed by the Under Ground outfits in 156 incidents of violence in Assam.

iii) The above-mentioned outfits continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extortion from the people.

iv) The areas falling in the 20 Kms wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities and encounters between different militant organizations (operating in Arunachal Pradesh and Assam) and Security Forces particularly in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and west Siang and Lower Dibang Valley districts. The National Socialist Council of Nagaland (NSCN) factions are involved in extortion from business community, local people and Government officials in the Assam-Arunachal border areas. The districts of Lohit, Lower Dibang Valley, East and West Siang and the foothills of papumpare act as a safe haven for ULFA militants as they have established hideouts in these districts.

v) The current security and law & order scenario in Meghalaya has shown an improvement mainly owing to Suspension of Operation (SoO) against cadres of Achik National Volunteer Council (ANVC) and the success of the Security Forces in neutralizing the cadres of Hynniewyterp National Liberation Council (HNLC). The region is used as an infiltration/ exfiltration route from/to Bangladesh and for smuggling of arms/ammunition from that country to Assam via Garo Hills. ULFA has been known to be using this area for shelter/ hideouts and trans-shipmen to farms/ ammunition/ explosive consignments.

Now, therefore the entire State of Assam and 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 4.11.2009 unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/98-NE-IV]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.